न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 8/2024 G.C.M.S. No. 2024/28 दर्ज दिनांक : 13.02.2024

अपीलार्थिगण:

1. फुसाराम पुत्र काना, जाति रेबारी , उम्र वयस्क,
2. स्वर्गीय भुवा पुत्र अमरा के वारिसदार व कायम मुकाम
   2/1. भूरकी पत्नी सरूपा, जाति रेबारी, उम्र वयस्क,
   2/2. देवाराम पुत्र सरुपा, जाति रेबारी, उम्र अवयस्क,
   2/3 दिनेश पुत्र, सरूपा, जाति रेबारी, उम्र अवयस्क, 2/2 व 2/3 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता अपीलेन्ट 2/1 भूरकी
   2/4 कालु पुत्र भूबाजी, जाति रेबारी, उम्र वयस्क,
3. भला पुत्र अमरा, जाति रेबारी, उम्र वयस्क,
4. पुनी बेवा मादा, जाति रेबारी, उम्र वयस्क
5. लीलाराम पुत्र मादा, जाति रेबारी, उम्र वयस्क,
6. भेराराम पुत्र जोगाराम, जाति रेबारी, उम्र वयस्क,
7. नरींगाराम पुत्र जोगाराम, जाति रेबारी, उम्र वयस्क,
8. वरजू बेवा जोगाराम, जाति रेबारी, उम्र वयस्क,
9. गोकुल पुत्र धरमा, जाति रेबारी, उम्र वयस्क,
10. जोरा पुत्र फता, जाति रेबारी, उम्र वयस्क,
11. गणेश पुत्र फता, जाति रेबारी, उम्र वयस्क,
12. दीपा पुत्र फता, जाति रेबारी, उम्र वयस्क, निवासियान मावल, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. दलपत पुत्र भीमाराम, उम्र वयस्क,
2. मुकेश पुत्र भीमाराम, उम्र वयस्क,
3. पिण्टु पुत्र भीमाराम, उम्र वयस्क,
4. रतन बेवा भीमाराम, उम्र वयस्क,
5. गौरव पुत्री भीमाराम, उम्र वयस्क,
6. राधा पुत्री भीमाराम, उम्र वयस्क,

   सर्वजातियान नट, निवासियान मावल, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही (राज.)

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड, जिला सिरोही (राज०)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2015 बअनवान फुसाराम बनाम दलपत वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2016 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार:–

1. श्री राजेन्द्र सिंह आढा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
2. श्री मेहुल रावल, श्री राजेश कुमार विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 27.01.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2015 बअनवान फुसाराम बनाम दलपत वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2016 आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अपीलान्ट की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें रेस्पोडेन्ट को नियमानुसार नोटिस तामील हुये थे एवं उन्हे जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया था उसके पश्चात वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये जिस पर दिनांक 26.02.2016 को रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी थी एवं पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की गयी थी एवं दिनांक 28.05.2016 को वादी की ओर से गोकुलराम के बयान करवाये थे एवं दस्तावेजात को प्रदर्शित करवा गया था। उसके पश्चात् पक्षकारान की ओर से आपस में राजीनामा होने से दिनांक 16. 08.2016 को अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया था एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 850 में वादीगण को खातेदार घोषित करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने का राजीनामा प्रस्तुत किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय ने 16.08.2016 को रेकर्ड पर लिया एवं पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु मुकर्रर की एवं दिनांक 18.10.2016 को बादी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वादी का वाद खारिज कर निर्णय व डिकी दिनांक 18. 10.2016 को पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है, जिससे उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। गाँव मावल पटवार हल्का मावल तहसील आबूरोड में वादीगण अपीलेन्ट के कब्जेकाश्त व खातेदारी की खसरा संख्य 840 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा व खसरा संख्या 850 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा आई हुई है जिसमें अपीलेन्ट के दादा परदादा केसा पुत्र खेतीजी के समय से खातेदारी कब्जाकाश्त था। इस कृषि भूमि के पुराने खसरा संख्या 432 रकबा 11.5 बीघा थी। खसरा संख्या 432 के सेटलमेन्ट के समय पाँच नये खसरा नंबर बने जिनमें से एक खसरा संख्या 850 रकबा 2 बीधा 19 बिस्वा बना जिसमें अपीलेन्ट के साथ साथ गलती से प्रतिवादीगण के नाम भी दर्ज कर दिया जबकि उक्त खसरा संख्या 850 से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं था। उक्त त्रुटि सेटलमेन्ट के समय रेकर्ड का संधारण करते समय हुई है। खसरा संख्या 850 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा पर वादीगण का कब्जाकाश्त पुश्तैनी समय से चला आ रहा है लेकिन त्रूटिवश रेस्पोडेन्ट के नाम साथ में गलत रूप से दर्ज हो गये थे जिसे हटाने हेतु वादीगण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय ने वाद प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

भी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर इस संबंध में उक्त त्रुटि सेटलमेन्ट के समय होना व उनके नाम रेकर्ड में गलत रूप से चढ़ना व पुनः वादीगण के नाम दर्ज किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय में राजीनामा दिनांक 16.08.2016 को प्रस्तुत किया था। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से अपीलेन्ट का वाद खारिज करने में कानुनन व वाक्यातन गलती की है जो अपास्त किये जाने योग्य है। वादी संख्या 2 हरू बेया काना की मृत्यु हो चूकी है जिसके वारिसदार व कायम मुकाम अपीलेन्ट संख्या 01 ही है। इसी प्रकार वाद में वादी संख्या 6 धापू पत्नी दरजा का भी देहावसान हो चूका है जिसके वारिसदार व कायम मुकाम अपीलेन्ट उकाराम पुत्र दरजा ही है। इसी प्रकार याद में वादी संख्या 12 रणछोड पुत्र धरमा, वादी संख्या 14 गलाराम पुत्र धरमा व वादी संख्या 15 वीराराम पुत्र धरमा जो कि तीनो ही अविवाहित थे एवं उनकी मृत्यु हो चूकी है, जिनके कायम मुकाम व वारिसान गोकुल पुत्र धरमा अपीलेन्ट है। वादीगण की ओर से अपने वाद में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है तथा वादी की साक्ष्य से बाद को साबित किया गया है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत बाद की ताईद रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत कर की है लेकिन इन सभी साक्ष्य व दस्तावेज पर गौर किये बगैर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में कानुनन व वाक्यातन गलती की है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिकी अपास्त किये जाने योग्य है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। उसी राजीनामा को तस्दीक फरमाकर वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य था तथा अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत किया उस समय में अधिवक्ता एवं पक्षकारान को यह कहा था राजीनामा तस्दीक कर पत्रावली का निर्णय कर देंगे जिस पर वादीगण व उनके अधिवक्ता निश्चिंत हो गये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से आदेशिका दिनांक 16.09.2016, 06.10.2016 में वादीगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज कर गलत रूप से दिनांक 18.10.2016 को भी वादीगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति बताकर गलत रूप से विवेचन कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इस प्रकार 18.10.2016 को उक्त निर्णय पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनन व वाक्यातन गलती कारित की है जिससे उक्त निर्णय व विकी अपास्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 850 के सम्पूर्ण रकबा पर वादीगण अपने पुश्तैनी समय से काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट के समय गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के नाम वादीगण के साथ संयुक्त रूप से दर्ज हो जाने से उक्त त्रुटि राजस्व रेकर्ड में चली आ रही है जिसे वादीगण ने अपनी साक्ष्य दस्तावेज से प्रमाणित किया है, उसके उपरांत भी अधिनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर उक्त निर्णय व डिकी पारित करने में कानुनन व वाक्यातन गलती की है जिससे उक्त निर्णय व डिकी अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलेन्ट ने भी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया। अब जनवरी, 2024 को उन्हें कुछ पक्षकार की मृत्यु होने पर नामांतरकरण दर्ज करवाने हेतु जमाबंदी की आवश्यकता होने पर जमाबंदी की नकल प्राप्त की जिसमें रेस्पोडेन्ट के नाम भी पूर्ववत दर्ज होने से अपीलेन्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया। जिस पर अधिवक्ता ने दिनांक 19.01.2024 को पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी

किया जो नकल दिनांक 23.01.2024 को प्राप्त हुई। अपीलेन्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2016 को अपास्त कराना फरमावे तथा अपीलेन्ट को खसरा संख्या 850 रकबा 0.7461 हैक्टेयर (2 बीघा 19 बिस्वा) में से रेस्पोडेन्ट के नाम हटाये जाकर अपीलेन्ट को सम्पूर्ण हक हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किये जाने की डिकी सादिर कराना फरमावे, तथा वाद में दर्ज अनुसार वाद को डिकी कराना फरमायें व अन्य कोई दाद जो हितकर अपीलेन्ट हो वह भी सादिर कराना फरमायें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत में वादी अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2016 को खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट वादीगण द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 13.02.2024 को प्रस्तुत की। जो अपील के लिए विहित अवधि 60 दिवस के स्थान पर लगभग 7 वर्ष 3 माह अर्थात लगभग 2674 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि जनवरी, 2024 को उन्हें कुछ पक्षकार की मृत्यु होने पर नामांतरकरण दर्ज करवाने हेतु जमाबंदी की आवश्यकता होने पर जमाबंदी की नकल प्राप्त की जिसमें रेस्पोडेन्ट के नाम भी पूर्ववत दर्ज होने से अपीलेन्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया। जिस पर अधिवक्ता ने दिनांक 19.01.2024 को पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 23.01.2024 को प्राप्त हुई। जिस पर अपीलांट द्वारा बिना देरी के अपील पेश की गई। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट स्वयं वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित थे, अतः उन्हे अपने वाद से संबधित तथ्यो की पूर्ण जानकारी होना अपेक्षित था। वादीगण अपीलांट के लिए यह अपेक्षित होता है कि उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से वाकिफ रहे तथा अपने द्वारा नियुक्त अधिवक्ता से नियमित

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

सम्पर्क में रहे। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो से जाहिर होता है कि उनके द्वारा लगभग 2674 दिवस के दीर्घकाल तक न तो अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार वादपत्र के संबंध में कोई सूचना ली गयी। जिससे स्पष्ट है कि वादीगण अपीलांट द्वारा प्रकरण में घोर लापरवाही व उदासीनता बरती गयी है। अतः प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा यह कथन करना कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं, महज काल्पनिक व आधारहीन कथन है। वस्तुतः विलम्बकाल अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता के कारण घटित हुआ है।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent

has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **2674 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **2674 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner